

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बास नानग के हाल खसरा नम्बर 410 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 505 रकबा 3.28 है0, खसरा नम्बर 509 रकबा 1.00 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.04 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त खसरा नम्बरान में वादी के उपयोग एवं उपभोग इत्यादि में बाधा कारित ना करें। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। तहसीलदार झुन्झुनू को उक्तानुसार तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले

न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

